

मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नयिम-2023 स्थगति

चर्चा में क्यों?

- 25 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सहि ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सहि चौहान के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नयिम-2023 नयिम के क्रियान्वयन को तत्काल परभाव से स्थगति कर दिया गया है।

प्रमुख बदि

- वदिति है कि नगरीय विकास एवं आवास वभिग द्वारा 21 अप्रैल, 2023 को प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर व्यापार करने के वनियमन के लयि मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नयिम-2023 अधिसूचति कयिा गया था।
- इन नयिमों के लागू होने के पहले जनि नगरीय नकियों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालकि नगिम अधिनियम 1956 अथवा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार नकिय स्रतर पर व्यापार वनियमन के लयि व्यापार अनुज्ञापति (टरेड लायसंस) जारी करने के लयि शुल्क नरिधारति करके नयिम लागू कयिे गए हैं, वह पूरवानुसार लागू रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि नवीन नयिमों के प्रकाशति होने के बाद वभिन्नि नगरों के संबद्ध व्यवसाययिों, व्यापार समूहों एवं नकियों के स्थानीय जन-प्रतनिधियिों द्वारा नयिमों में वसिंगतयिों की ओर ध्यान आकृषट कयिा गया था।